

2026/31

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

तहसील आबूरोड

क्र. सं.	खाता सं.	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	242	490/2 495/1 खिगा 02	3.2498 1.4162 4.6660	सायरा फलिन नुरमोहम्मद सायरा फलिन फारि मुसलमान सा. आबूरोड खानेदार रहन रामखान मरुघरा शमीबा बैंक शाखा - आबूरोड।	नुरमोहम्मद फारि मुसलमान सा. आबूरोड खानेदार रहन रामखान शमीबा बैंक शाखा आबूरोड।	

नुतानिक मिसल/जमावती जयंत 2075  
76जमावती 2076 (25/11/2024) के  
उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया खाना  
प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138  
राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के  
तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
अलपर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया  
गया। रिपोर्ट प्रदरणी पूर्ण है। अतः  
उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना  
उचित है।

प०हल्का आबूरोड  
भू०अ०नि० हृंगराज  
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के  
मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार  
शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण  
यन्वोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्व  
का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी  
महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का आबूरोड  
भू०अ०नि० हृंगराज  
राजस्व अधिकारी की  
रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के  
आधार पर उपरोक्तानुसार  
शुद्धीकरण किये जाने के  
आदेश प्रदान किये जाते है।  
घात जमानदी में जनत  
किया जाते।

दिनांक 19/12/24  
प०हल्का आबूरोड  
तहसील-आबूरोड (सिरोही)

हो भू०अ०नि०  
19/12/2024

हो राजस्व अधिकारी  
तहसीलदार आबूरोड  
जिला-सिरोही  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड